रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 1970/पौष 30, 1891

No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 1970/PAUSA 30, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January 1970

S.O. 235.—Whereas the Central Government has, as required by sub-section (2) of section 78C of the Indian Patents and Designs Act, 1911, reconsidered the question whether the direction issued under sub-section (1) of the said section to the Controller by the Notification of the Government of India, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 1631, dated the 22nd April, 1969, as published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 3rd May, 1969, continues to be necessary or expedient in the public interest;

And whereas on such reconsideration it appears to the Central Government that the said direction continues to be necessary in the public interest;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of the said section, the Central Government hereby notifies that the said direction continues to be necessary in the public interest.

[No. F. 31(3)-PP&D/68.]

K. J. GEORGE, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1970

सां० आ० 235:—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, जैसा कि भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाईन अधिनियम, 1911 के खण्ड 78 (ग) उप-खण्ड (2) के अनुसार आवश्यक है, इस प्रश्न पर कि उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत नियन्त्रक को औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा सांविधिक आदेश, 1631 दिनांक 22 अप्रैल, 1969 को अधिसूचना द्वारा जारी किए गए निदेश को जो भारत के राजपत्र भाग (2) खण्ड 3(2) में दिनांक 3 मई, 1969 को प्रकाशित हुआ था आगे जारी रखा जाए इस पर पुनर्विचार किया और सरकार इसको जारी रखना जनहित में आवश्यक समझती है। और पुनर्विचार पर केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह निदेश जनहित की दृष्टि से आवश्यक है ।

अतः उक्त खण्ड के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करती है कि उक्त निदेश जनहित में आवश्यक हैं ।

[सं० फा० 31 (3) पी० पी० एण्ड डी०/68]

के० जे० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970